


विवाह अनुष्ठापन हेतु

(सी - जब वर पक्षकार तलाकशुदा हो)



-: शपथ पत्र :-

(धारा 04 विशेष विवाह अधिनियम 1954 के परिपालन में प्रस्तुत )

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:-

मेरा नाम:-

पिता का नाम:-

माता का नाम:-

जन्मतिथि :-

आवेदन दिनांक को आयु:-

व्यवसाय:-

जाति:-

स्थायी पता:-

स्थानीय पता :-

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ । पूर्व में मेरी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रही है । वर्तमान में विवाहित हूँ ।
2. यह कि यह मेरा द्वितीय विवाह है। मेरा प्रथम विवाह श्री.....पिता.....  
 .निवासी.....के साथ दिनांक ..... को अनुष्ठापित हुआ था। किन्तु पति का रिश्ता निभाने में विभिन्न कारणों से असमर्थता होने से हम दोनों के मध्य दिनांक को विधिवत विवाह विच्छेद हो गया । प्रमाण स्वरूप माननीय न्यायालय .....के द्वारा दिनांक.....को पारित विवाह विच्छेद डिक्री की सत्यापित/प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। विगत विवाह से हमारी.....संताने है जो वर्तमान में .....के साथ निवासरत है ।
3. यह कि विवाह के समय में वयस्क हूँ तथा 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हूँ।
4. यह कि हम दोनों पक्षकारों के मध्य विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 2 (ख) भाग 1 एवं 2 में वर्णित अनुसार प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है ।
5. यह कि विवाह हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय मैं शारीरिक तथा मानसिक पूर्णतः रूप से स्वस्थ हूँ एवं सोचने समझने की पूर्ण शक्ति रखता हूँ।

6. यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है ।
7. यह कि इन दोनों पक्षकारों द्वारा विशेष विवाह अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अन्तर्गत इन्दौर अथवा किसी अन्य स्थान पर पूर्व में विवाह पंजीयन नहीं कराया गया है ।
8. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ और नगर /ग्राम में .....दिनों /वर्षों से निवास कर रहा हूँ ।
9. यह कि मेरे और श्री.....के बीच विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 2 (ख) अधिसूचित अन्तर्गत भाग 1 एवं भाग 2 में वर्गीकृत किसी प्रकार की प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है ।
10. यह कि मैं चित विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं हूँ।
11. यह कि मैं विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने के साथ साथ इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीडित नहीं रहा हूँ ।
12. मेरे द्वारा विवाहों के अनुष्ठान संबंधी किसी अन्य प्रवृत्त विधि /परंपरा के अन्तर्गत पूर्व में कोई विवाह अनुष्ठापित नहीं किया गया है ।
13. यह कि मेरे विवाह अनुष्ठापित करने के संबंध में मेरे माता पिता एवं परिजनों को किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है ।

14. यह कि मैं द्वितीय पक्षकार श्री.....को साक्षियों की उपस्थिति में अपना विधिपूर्ण जीवन साथी (पति) स्वीकार करने के लिए पूर्णतः सहमत एवं तत्पर हूँ ।
15. यह कि मैं पूर्णतः स्वस्थ, वयस्क एवं निर्णय लेने में समर्थ होकर पूरे होशो हवास में यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित प्रत्येक जानकारी एवं तथ्य पूर्णतः सत्य है । शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की मिथ्या घोषणा प्रमाणित होने पर मैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 एवं भारतीय दंड दंडिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत दंड का भागी होऊंगा।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता

सत्यापन लेख

उपरोक्त शपथ पत्र पैरा 1 से लगायत 15 तक का कुल कथन सत्य एवं सही है । इसमें कोई भी कथन न तो असत्य है ना ही छिपाया गया है । और ना ही गलत जानकारी दी गई है।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता